VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0089080

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : गौरव कुमार त्रिपाठी

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
हिन्दी।

तारीख
Date
27/अगस्त/2022

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

केंद्र
Centre Academy of computer (AOC) Betiahata. gorakhpur.

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use

परीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of Examiner(s)

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISION IAS

VISIONIAS

INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISION IAS

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Do you agree with the view that time has come to revisit the Seventh Schedule of the Indian Constitution? Discuss with suitable arguments. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संविधान की 7वीं अनुसूची केन्द्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन हेतु विषयों को स्पष्ट करती है।

7वीं अनुसूची
- ① केन्द्र/संघ सूची - विदेशी संबंध, बैंकिंग आदि
- ② राज्य सूची - कृषि, जल आदि
- समवर्ती सूची - वन एवं वन्यजीव, न्याय प्रशासन
- अवशिष्ट विषय

अवशिष्ट विषयों एवं केन्द्र सूची पर कानून केवल संसद बना सकती है वहीं राज्य सूची पर केवल राज्य, जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र/राज्य दोनों।

7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार आवश्यक क्यों?

① शक्तियों का केन्द्रीकरण - संघीय सूची में लगभग 100 विषय
② संशोधन की शक्ति केवल संसद को
③ अवशिष्ट विषयों पर कानून केवल

केन्द्र जबकि USA में यह शक्ति राज्यों के पास।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(4) जल एवं कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने की माँग।

↳ कृषि बाजार में एकरूपता

↓ जल विवादों का समाधान

आगे की राह: हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए तथा उसके सुझावों को लागू करना चाहिए।

(2) इस संदर्भ में सरकारिया एवं पुंछी आयोग के अनुशंसाओं का पालन किया जाये।

→ (3) इन मुद्दों हेतु अन्तर्राज्यीय परिषदों एवं GST परिषदों का प्रयोग।

7वीं अनुसूची में सुधार समय की माँग है। तथा इस संदर्भ में उचित प्रयास किया जाना चाहिए।

2. न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए, भारत में इसके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Highlighting the advantages of online dispute resolution (ODR) mechanism for justice delivery, discuss the challenges associated with its effective implementation in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में RBI द्वारा डिजिटल भुगतान के मामलों के समाधान हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) का प्रयोग किया गया।

लाभ

① लागत वहनीय - निशुल्क न्याय (अनु० 39(a) की पूर्ति)

② न्यायालय की पहुंच में वृद्धि: टेली लॉ कार्यक्रम द्वारा दूर-दराज तक पहुंच

③ केस पेंडिंग में कमी - NJDG के अनुसार HCs में 65 लाख एवं अधीनस्थ न्यायालयों मे >3.5 करोड़ केस पेंडिंग है।

④ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन तथा ई-लोक अदालतों आदि से सामाजिक सौहार्द भी स्थापित

⑤ केस मैनेजमेंट एवं ब्रीफिंग आसान उदा० (LIMBS सिस्टम)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(6) AI आदि का प्रयोग न्यायाधीशों के निर्णयों में वस्तुनिष्ठता बढ़ायेगा।

(7) कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग संभव।

चुनौतियाँ - (1) 70% न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा नहीं।

(2) न्यायाधीशों एवं वकीलों का प्रशिक्षण नहीं।

(3) हाल ही में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा की न्यायपालिका एवं विवादों की संवेदनशीलता के कारण यह तीव्र गति से होना संभव नहीं।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का अभाव (34% ग्रामीणों तक ही नेट पहुँच)

(5) फंड, फंक्शन एवं फंक्शनरीज (3F) का अभाव।

इस संदर्भ में e-लोक अदालतों एवं कामन सर्विस सेंटरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

3. शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बावजूद, केंद्र-राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता रहे हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite the constitutional division of powers, Centre-state disputes have been a perennial feature of Indian democracy. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संविधान के भाग 12, 13 में तथा अनुसूची 7 के तहत केन्द्र एवं राज्यों के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है।

हालांकि निम्न कारणों से केन्द्र राज्य विवाद बने हुए हैं।

① संसद द्वारा कलरबल विधायन का प्रयोग (मुख्यत: कृषि एवं आधार कानूनों से राज्य सभा को बाईपास करना)

② राज्यपाल का पद : राज्यों में संवैधानिक आपातकाल एवं संवैधानिक विवेकाधिकारों के प्रयोग का मुद्दा।

③ राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग
→ तमिलनाडु द्वारा वित्तीय स्वायत्तता
→ केरल द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव।

④ वित्तीय गतिरोध GST क्षतिपूर्ति हेतु
└ ② केन्द्र द्वारा उपकरों एवं अधिभारों का प्रयोग।

⑤ केन्द्रीय तंत्रों -- CBI, ED, NIA आदि को राज्यों द्वारा हस्तक्षेप माना जाता है (उदा० - पुलिस राज्य सूची का विषय)

समाधान हेतु उपाय:

① मौजूद तंत्र - अनु०131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास अनन्य शक्ति

② अन्तर्राज्यीय परिषदों एवं GST परिषद का प्रयोग

② राज्यपाल के पद हेतु - हालिया नबाम रेबिया वाद में SC के निर्णयों का पालन (सदन में ही बहुमत परीक्षण

③ सरकारिया एवं पुंछी आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर हो।

एक स्वस्थ लोकतंत्र में विवाद एवं असहमति अनिवार्य विशेषता है हालांकि मूल उद्देश्य नागरिक केन्द्रित प्रशासन होना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लॉबिंग के लिए एक ढांचे को अंगीकृत करना भारत में सहभागी शासन और कारोबार सुगमता को सुदृढ़ करेगा? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that adopting a framework for lobbying will strengthen participative governance and ease of doing business in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

लॉबिंग से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जब विभिन्न दबाव समूह अपने पक्ष में नीतियों के निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों एवं सरकार पर दबाव बनाते हैं। (उदा- अमेरिका में राइफल असोशिएशन)

भारत में इसके ढाँचे को अंगीकृत करने के पक्ष में तर्क।

① सहभागी शासन : उद्योगों एवं सिविल सोसाइटी से उनका मत जान सकते हैं। (उदा कोविड-19 में ऑटो उद्योग में दिक्कतें)

② कारोबार सुगमता : ट्विटर, फेसबुक एवं अन्य समूह अपने मुद्दों पर सरकार तक सीधी पहुँच रखेंगे।

③ पारदर्शिता एवं जवाबदेही : ढाँचे का निर्माण इस प्रक्रिया में हितों का

टकराव तथा भ्रष्टाचार की संभावना
(उदा० - वालमार्ट द्वारा भारत में लॉबिंग पर 500 करोड़ खर्च) को रोकेगा)

(1) अमेरिका एवं पाश्चिमी लोकतंत्रों में स्वीकृत।

विपक्ष में तर्क: (1) क्रोनी कैपटलिज्म को बढ़ावा।

(2) वंचित वर्गों एवं सुभेद्य समूहों की आवाज दब सकती है

(3) नीतिगत निर्माण में धन-बल प्रमुख इससे चुनावी शुचिता एवं निष्पक्षता बाधित होने का खतरा।

(4) विनियामक एवं जाँच तंत्र का अभाव।

इस संदर्भ में इसके पाश्चिमी देशों में प्रभावों का गहन अध्ययन तथा सभी हितधारकों से परामर्श के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. सरकारी अनुप्रयोगों के लिए सरकार द्वारा प्रोपराइटरी (निजी स्वामित्व और नियंत्रण वाली) प्रौद्योगिकी के बजाय ओपन स्रोत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के बावजूद, फ़्री एंड ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर (FOSS) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite the government encouraging open source instead of proprietary technology for government applications, the true potential of Free and Open Source Software (FOSS) and digital platforms remains unrealized. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

फ्री एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है, जिनको उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने अनुसार बदला जा सकता है। तथा बिना शुल्क एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के प्रयोग किया जा सकता है। (उदा- UPI)

सरकार द्वारा प्रोत्साहन
- GEM पोर्टल
- कोविन पोर्टल
- ONDC
- लैंड बैंक पोर्टल आदि

क्षमता
- पारदर्शिता
- रियल टाइम मानीटरिंग आदि

वास्तविक क्षमता का दोहन सरकार में क्यों नहीं।

(1) e-gov के प्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण - फाइलों के भौतिक सत्यापन पर जोर

(2) सक्षम कार्यबल का अभाव एवं वर्तमान कार्यबल का प्रशिक्षण नहीं।

③ संसाधनों के अभाव के कारण स्थानीय भाषाओं में लागत अनुकूल प्रक्रियाओं का पालन नहीं।

④ डेटा-चोरी एवं हैकिंग के मुद्दे - उदा०- मुंबई ग्रिड पर हैकिंग पैटर्न का हमला।

⑤ व्यापार सुगमता में बाधक - कंपनियाँ इसे अनावश्यक हस्तक्षेप मानती हैं।

इस संदर्भ में NPCI के UPI की सफलता से प्रेरणा लेते तथा निजी क्षेत्र एवं सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के साथ FOSS की वास्तविक क्षमता का दोहन किया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. एक सामाजिक सुरक्षा-वाल्व के रूप में, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) प्रमुख साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से समुदाय अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
As a social safety-valve, non-governmental organisations (NGOs) can be the principal vehicles through which communities voice their concerns. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रति 600 जनता पर एक NGO कार्यरत है।

सामाजिक सुरक्षा वॉल्व के रूप में NGOs

① वंचित एवं दमित वर्गों की आवाज.
उदा०- नियामगीरी हिल्स में आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण।

② सरकार के वित्तीय एवं कार्यबल सीमाओं के पूरक - उदा० - अक्षयपात्र द्वारा मिड-डे मिल का क्रियान्वयन।

③ जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना
→ ADR, लोकनीति द्वारा राजनीतिक शुचिता हेतु प्रयास।
→ मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा RTI लागू करवाना।

④ समुदाय की चिंताओं की अभिव्यक्ति:
↳ (1) पर्यावरणीय - ग्रीनपीस आदि
↳ (2) आर्थिक एवं मानवीय - CRY, चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन।

⑤ मानवाधिकारों की रक्षा - धरना प्रदर्शन, PIL का प्रयोग (उदा० - बंधुआ मुक्ति मोर्चा)

मुद्दे ① सरकार की असहनशीलता - FCRA नियमों को कठोर तथा 5000 NGOs (2017) में FCRA लाइसेंस रद्द।

② NGOs में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की कमी - 10% द्वारा ही ITR दाखिल।

③ IB के अनुसार पाश्चिमी हितों से प्रेरित NGOs द्वारा - GDP का 3-3.5% नुकसान करवाया गया। (कुडनकुलम संयंत्र विरोध)

④ वित्त की कमी तथा क्षमता निर्माण नहीं।

क्षेत्र में NGOs की उचित क्रियाशीलता हेतु सोशल स्टॉक एक्सचेंज, NGOs आचार संहिता तथा फेसलेस रजिस्ट्रेशन एवं अपील हेतु उपाय किया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. अपने रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सराहे जाने के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का कार्यान्वयन सुस्त है और विभिन्न मुद्दों से घिरा हुआ है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite being lauded for its patient centric approach, the implementation of the Mental Healthcare Act, 2017, remains sluggish and mired with various issues. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

NIMHANS के अनुसार लगभग 10% भारतीय किसी ना किसी मानसिक तनाव एवं स्वास्थ्य की दिक्कतों से पीड़ित हैं।

देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का रोगी केन्द्रित दृष्टिकोण।

① रोगियों को स्वास्थ्य का अधिकार
② इलेक्ट्रिक शॉक जैसी क्रूर प्रक्रियाओं के विरुद्ध अधिकार (परिजनों एवं रोगी की सहमति से ही)
③ अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार तथा इलाज का अधिकार

हालांकि इसका कार्यान्वय सुस्त है। एवं विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हुए हैं

① सामाजिक मुद्दे → ① परिवार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को कलंक मानना तथा इस पर ध्यान ना देना। (पागल कहकर बुलाना)

(2) जागरूकता की कमी

(3) मनोचिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों की कमी - (प्रति (1.5-2) लाख जनसंख्या पर केवल एक चिकित्सक।

(4) वहनीयता एवं गुणवत्ता : दवाओं की उच्च कीमतें तथा प्रभावशाली अनुसंधान का अभाव।

(5) ज़िलेवार मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपलब्ध नहीं।

(6) मानसिक रोगियों का शोषण।

ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का उचित क्रियान्वयन हेतु काउंसलिंग केन्द्रों का निर्माण, सिविल समाज के साथ जागरूकता सृजन, मोबाइल ऐप एवं 'योर दोस्त' जैसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना तैयार करने का समय आ गया है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that time has come to formulate an Urban Employment Guarantee scheme at the national level? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

PLFS के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 40 वर्षों के उच्च स्तर पर है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा द्वारा रोजगार गारंटी है। तथा शहरों में इसकी आवश्यकता है।

(1) आजीविका का अधिकार - अनु० 21 के तहत मूलाधिकार है। (बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाद)

(2) गरीबी में कमी - उदा० मनरेगा द्वारा ग्रामीण गरीबी में अभूतपूर्व कमी देखी गयी (विश्व बैंक)

(3) कोविड-19 जैसी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने हेतु।

(4) शहरीकरण एवं श्रम बल की वृद्धि रोजगार के अभाव में मानसिक तनाव, कुंठा एवं अपराध को जन्म दे रही है।

(5) मँहगाई दर में अभूतपूर्व वृद्धि (जून-2022 में 7% से अधिक जबकि 6% ही अधिकतम सीमा)

चुनौतियाँ - (1) इस उद्देश्य हेतु धन की व्यवस्था।
(2) स्किल के अभाव में अकुशल कार्य करने पर मजबूर।
(3) अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर संकट
(4) स्वउद्यम, उद्यमशीलता को हतोत्साहित करेगा।

आगे की राह - कार्य बल का कौशल प्रशिक्षण (स्किल इंडिया मिशन)
(2) मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया के माध्यम से औद्योगिकरण तथा रोजगार सृजन
(3) उद्योगों एवं शैक्षिक संस्थानों को श्रम पोर्टलों से जोड़ना।
(4) प्लेटफार्म एवं गिग वर्कर हेतु नीतियाँ। इस संदर्भ में राज्यों को छूट दी जानी चाहिए (उदा० - केरल द्वारा प्रयास किया जा रहा है।)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्सटेक की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of BIMSTEC as a regional organisation to fulfil India's strategic aspirations in the Indian Ocean Region. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) बंगाल की खाड़ी के देशों का समूह है।

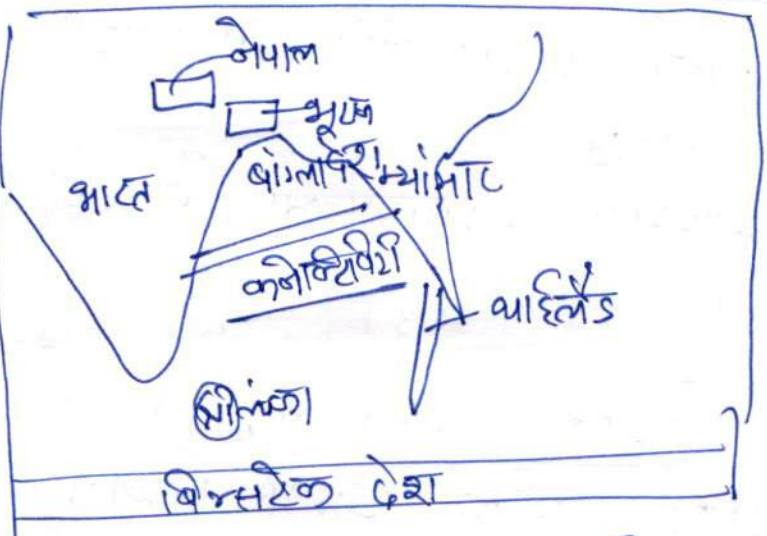

सामरिक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रासंगिकता

① क्षेत्रीय सुरक्षा - चीन की चेक डिप्लोमेसी के विरुद्ध संगठन (उदा - बांग्लादेश द्वारा चीनी ऋणों के विरुद्ध देशों को आगाह किया गया।)

② ऊर्जा सुरक्षा - म्यांमार बांग्लादेश-इंडिया पाईपलाइन
└→ रूपपुर परमाणु संयंत्र

(3) कनेक्टिविटी - BBIN तथा इंडिया-म्यांमार-थाइलैंड हाइवे के द्वारा उत्तर-पूर्व का विकास।

(4) UNSC में स्थाई सदस्यता हेतु समर्थन की प्राप्ति।

(5) रोहिंग्या संकट एवं आतंकवाद से मुकाबला।

(6) ब्लू इकोनॉमी क्षमताओं का दोहन: ऊर्जा, कोबाल्ट, मत्स्यन आदि

(7) ट्रेड एंड पार्टनरशिप - सामाजिक मुद्दों तथा आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा आदि।

इसके अलावा बिम्सटेक सार्क में मौजूद बाधक तत्व (पाकिस्तान) के न होने का लाभ उठाकर, सदस्यता के माध्यम से अत्यंत प्रासंगिक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. वर्तमान समय में अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में भारत के लिए गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the relevance of the Gujral Doctrine for India with regard to its relations with its immediate neighbours in the present times. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गुजराल सिद्धान्त पड़ोसियों के साथ पंचशील सिद्धान्त का अगला चरण है इसके अनुसार एक वृहत देश तथा शक्ति होने के कारण भारत अपने पड़ोसी देशों को एकतरफा (नॉन रेसिप्रोकल) सहायता करेगा।

प्रासंगिकता

① चीनी प्रभाव से निपटने में –
- श्रीलंका हेतु 2B$ से अधिक हालिया सहायता
- बांग्लादेश को हथियार हेतु 500M $ का लाईन ऑफ क्रेडिट।

② कोविड-19 / एवं अन्य आपदाओं से निपटने हेतु – उपाय वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत नेपाल, भूटान में मुफ्त वैक्सीन।

③ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी एवं विवादों के

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

समाधान हेतु - उदा० - बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद सुलझा लिए गये। (इन्क्लेवों का हस्तांतरण)

(4) यह वर्तमान में पड़ोस प्रथम नीति में दिखता है।

(5) उत्तर पूर्व का विकास - आसियान के बाजारों का दोहन तथा कनेक्टिविटी हेतु

चुनौतियाँ - (1) पाकिस्तान के साथ स्वनीति का लाभ नहीं - आतंकवाद, सीज फायर उल्लंघन जारी।

(2) चीन का अत्याधिक प्रभाव - श्रीलंका द्वारा हालिया चीनी जहाज को अनुमति।

(3) भारत को शंकालु दृष्टि से देखना (मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन)

अतः भारत को पड़ोसियों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी तथा सागर रणनीति एवं पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर जोर देना चाहिए।

11. भारतीय संसदीय प्रणाली में "संसद के अधिकारियों" की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके निष्पक्ष कामकाज के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Highlight the pivotal role of the "Officers of Parliament" in the Indian Parliamentary system. Also, discuss the constitutional and statutory provisions for their impartial functioning. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष लोकसभा के महत्वपूर्ण अधिकारी है।

अन्य संसदीय अधिकारी
- (2) राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति
- (3) विपक्ष का नेता।
- (4) CAG एवं महान्यायवादी आदि

महत्वपूर्ण भूमिका।

(1) विधायी कामकाज सुचारु रूप से चलाने हेतु।

(2) सरकार की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु (उदा- अविश्वास, निंदा एवं स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति)

(3) विपक्ष की भूमिका सुनिश्चित करना उदा- विपक्षी दलों को मौका देना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

④ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक पर निर्णय।

⑤ संसदीय कार्यवाहियों में अनुशासन सुनिश्चित करना - (दल बदल की अयोग्यता, तथा विशेषाधिकार के मुद्दों का समाधान।

⑥ संसद सदस्यों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

निष्पक्ष कामकाज हेतु प्रावधान :

① 52वें संविधान संशोधन के तहत अपने पद से त्यागपत्र पर संसद अध्यक्षों पर दल-बदल कानून लागू नहीं।

② पद की स्वतंत्रता - इन्हें कुल सदस्यों के बहुमत (साधारण नहीं) एवं 14 दिन पूर्व सूचना देने पर ही हटाया जा सकता है।

③ संसद के सर्वोच्च प्राधिकारी एवं अभिभावक के रूप में इनके पास विभिन्न शक्तियाँ होती हैं (उदा० सदस्यों पर अनुशासनिक कार्यवाही)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(4) किसी विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में ही निर्णायक मत देने की शक्ति उपलब्ध।

(5) अनु० 108 के तहत धन विधेयक पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ले सकता है।

मुद्दे
- (1) सरकार के पक्ष में कार्य करना वास्तविक निष्पक्षता नहीं
- (2) दलबदल का दुरुपयोग।
- (3) आधार जैसे विधेयकों को धन विधेयक मानना
- (4) प्रायः विपक्षी सदस्यों पर ही अनुशासनात्मक कार्यवाही।

अतः यू०के० की तर्ज पर इन्हें चुनाव पश्चात दलीय संबद्धता से हटाकर तथा दलबदल एवं धन विधेयकों के मुद्दों पर वस्तुनिष्ठ दिशा निर्देश सुनिश्चित करके प्रभावी बनाया जा सकता है।

12. वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में, 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Finance Commission plays a crucial role in balancing fiscal federalism in India. In this context, examine the recommendations given by the 15th Finance Commission. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संविधान के अनु० 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में अथवा आवश्यकता पड़ने पर वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं।

15वे वित्त आयोग की नियुक्ति इसी के तहत NK सिंह की अध्यक्षता में की गयी।

राजकोषीय संघवाद में भूमिका :

(1) करों के विभाजीय पूल में राज्यों का हिस्सा तय करना - 32% 15वें वित्त आयोग द्वारा 41% किया गया।

(2) राज्यों के मध्य क्षैतिज बंटवारे को शासित करने वाले नियम बनाना - 15वें वित्त आयोग द्वारा आय असमानता, जनसंख्या, पर्यावरण आदि

को प्रमुख माना गया।

(3) पिछड़े राज्यों हेतु विशेष प्रावधान :
उत्तर पूर्वी एवं 3 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा बरकरार रखा गया तथा 1% की व्यवस्था जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख UT हेतु।

(4) निचले स्थानीय स्वशासन के स्तर पर राजकोषीय अंतरण : 15वें आयोग द्वारा इस बार प्रदर्शन आधारित अनुदान को बढ़ाया गया है।

(5) राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गये अन्य मुद्दे।
→ राष्ट्रीय सुरक्षा कोष हेतु नॉन लैप्सेबल फंड की व्यवस्था की गयी।
→ राज्यों को कर सुधार, जल सुधार हेतु अन्य प्रोत्साहन दिये गये।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

~~इस प्रकार~~

मुद्दे – कर के गैर विभाज्य पूल का बढ़ता हिस्सा (24% आय उपकर एवं अधिभार से)

② जनसंख्या के मुद्दे पर दक्षिण राज्यों का विरोध।

अतः राजकोषीय संघवाद हेतु वित्त आयोग की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन अनिवार्य है।

13. आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन प्रदान करना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों में योगदान करेगा। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Critically assess whether according statutory backing to the Model Code of Conduct will contribute towards free and fair elections in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

आदर्श आचार संहिता संविधान के अनु० 324 – 329 के तहत निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त चुनाव आयोग की शक्तियों के तहत निर्मित एक DO एवं DON'T के निर्देश है जो चुनाव की घोषणा से रिजल्ट आने तक लागू रहते हैं।

वैधानिक समर्थन प्रदान करने के पक्ष में तर्क।

① निष्पक्ष चुनाव - वर्तमान में विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। (विभिन्न मामलों में विभिन्न सजा के कारण)

② राजनीतिक अपराधीकरण एवं भ्रष्ट गतिविधि पर रोक - चूँकि अधिनियमित किये जाने से दंड पूर्वनिर्धारित एवं वस्तुनिष्ठ हो जायेंगे।

③ चुनाव आयोग द्वारा भी इसे लागू किया जाना आसान हो सकेगा।

④ संसदीय स्थाई समिति ने भी इसके पक्ष में अनुशंसा की है, कि ये धन-बल का प्रयोग, हेट स्पीच आदि को रोकने में चुनाव आयोग को सक्षम बनायेगा।

विपक्ष में तर्क :

① चुनाव आयोग की शक्ति सीमित होगी, जबकि संवैधानिक दायित्व उसका है

② मुकदमे बाजी से चुनाव में देरी।

③ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध - MCC को सभी दलों की सहमति के आधार पर बनाया जाता है

④ न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ में वृद्धि (वर्तमान में ही 4 करोड़ केस पेंडिंग)

⑤ चुनावी संचालन में बाधा. वर्तमान में चुनाव आयोग आवश्यकतानुसार 24-48 घंटे का प्रतिबंध लगाता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(6) विभिन्न अपराध पहले से ही कानूनों में व्यक्त।

→ उदा० - RPA 1951 के तहत sec 123 आदि भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक

- IPC sec 505 आदि सांप्रदायिक भाषणों पर रोक।

अतः MCC को चुनाव आयोग के सुझावनुरूप वैधानिक समर्थन न देकर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता हेतु कार्य किया जाना चाहिए।

14. डिजिटल क्रांति के कारण बाजार में आए व्यवधान ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नवीकृत फोकस और परिप्रेक्ष्य को आवश्यक बना दिया है। इस आलोक में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में सुधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The market disruption caused by digital revolution warrants renewed focus and perspective to ensure fair competition in the digital economy. In this light, discuss the need to revamp the Competition Commission of India (CCI). (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत का डिजिटल व्यापार 100 B $ को पार कर जायेगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। जो बाजारगत निष्पक्षता एवं एकाधिकार विरोधी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में सुधार की आवश्यकता।

① डिजिटल क्रांति के कारण आया व्यवधान

→ ऑनलाईन व्यापार एवं ई-कामर्स में वृद्धि।

→ पूंजी, मुद्रा बाजार एवं अन्य क्षेत्र में तकनीकी एकाधिकार को बढ़ावा। (उदा० – ऑनलाईन ट्रेडिंग एप्स जिरोधा आदि)

② निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना

↳ हैव और हैव नाट्स कंपनियों के मध्य।

↳ उभरते तकनीकी जायंट्स द्वारा आक्रामक नीतियों के विरुद्ध : उदा० - जियो द्वारा लगभग 2 वर्षों तक मुफ्त 4G सेवाओं ने दूरसंचार क्षेत्र में एकाधिकार को बढ़ावा दिया।

③ नवीनीकृत कोलस एवं परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना।

→ बड़ी डिजिटल कंपनियों द्वारा स्थापित एकाधिकार (उदा० - शिक्षा क्षेत्र में अनएकेडमी एवं बैजूस द्वारा विभिन्न संस्थानों का अधिग्रहण।

→ दुर्भावनायुक्त अधिग्रहण को रोकना : हाल ही में NDTV द्वारा अडानी ग्रुप के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गयी।

निम्न सुधार किये जाने चाहिए

① विनियमों को नये सिरे से

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

परिभाषित किया जाये। (अधिग्रहण, दुर्व्यवहार आदि)

(2) स्टार्टअप परिवेश। भारत में 100 से अधिक यूनीकार्न) को प्रतिस्पर्धा के दायरे में लाया जाये।

(3) डिजिटल कंपनियों एवं e-कामर्स हेतु विशेष नियम - उपभ - ई- कामर्स नीति 2020 का अनुपालन सुनिश्चित करना

(4) सेबी, इरडा आदि अन्य विनियामकों के साथ सहयोग।

(5) सरकार के निरंकुश नीतियों के विरुद्ध कंपनियों को भी संरक्षण।

इस प्रकार बदलते व्यापार सुगमता परिवेश में प्रतिस्पर्धा अधिनियम में आवश्यकतानुरूप परिवर्तन अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. भारत में एक प्रभावी व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र और साथ ही यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में व्हिसल-ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

There is an urgent need for effective whistle-blowing mechanisms and ensuring that necessary safeguards for the protection of whistle-blowers are established in both public and private spheres in India. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

व्हिसल ब्लोवर वे व्यक्ति होते हैं, जो किसी संगठन के गलत व्यापार नीतियों का खुलासा करते हैं

भारत में सार्वजनिक व्हिसल ब्लोवरों को व्हिसल ब्लोअर अधिनियम - 2013 के तहत सुरक्षा प्राप्त है।

एक प्रभावी व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र की आवश्यकता

① सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खुलासे हेतु (ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भारत के निजी क्षेत्र को दक्षिण एशिया में सर्वाधिक भ्रष्ट प्रथाओं वाला माना गया है)

② जनता के सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु:

③ बढ़ती औद्योगिक आपदायें - उदा० - NTPC का बॉयलर फटना, तामिलनाडु में स्टरलाईट प्लांट से स्टाइरीन का रिसाव आदि।

→ निजी क्षेत्र में व्हिसल ब्लोवर पूर्व में ही ऐसी अनियमितियों का खुलासा कर सकते हैं।

④ निजी - सरकारी क्षेत्र का व्यापक जुड़ाव: उदा० - PPP परियोजनाएँ जबकि निजी क्षेत्र के व्हिसल ब्लोवर को सुरक्षा प्राप्त नहीं।

⑤ व्हिसल ब्लोअरों के खिलाफ बदले की कार्यवाही (उदा० - सत्येंद्र दुबे (NHAI) की हत्या) जबकि निजी क्षेत्र द्वारा नौकरी से निकाला जाना।

⑥ विनियमन सुनिश्चित करने हेतु - उदा० फिक्की के अनुसार 37% कंपनियों ने ही विशाखा दिशा निर्देश का पालन किया है।

आवश्यक सुरक्षा उपाय :

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

① गवाह सुरक्षा कानून के समान सुरक्षा।

② लोकपाल एवं CVC जैसे निकायों के समक्ष गोपनीय शिकायतों की सुविधा।

③ शिकायतों पर जाँच से पूर्व प्राथमिक निरीक्षण ताकि व्यापार सुगमता में बाधा न आये।

④ नामों का खुलासा (व्हिसल ब्लोअर के) करने वालों पर कड़ी कार्यवाही।

वर्तमान में सार्वजनिक-निजी तंत्र पूरकता में कार्य कर रहे हैं, अतः सभी हितधारकों के हित में एक व्यापक व्हिसल ब्लोअर कानून लाया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. भारत में सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन के कारणों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इनकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
State the reasons behind the poor performance of cooperatives in India. Also, discuss the reforms undertaken by the government to overcome the shortcomings. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सहकारी समितियाँ समान आर्थिक गतिविधियों को करने हेतु सदस्यों का औपचारिक समूह है। जो संसाधन तथा वित्त स्थानांतरण एवं योजना निर्माण के तहत गरीब वर्गों के सशक्तिकरण का माध्यम है।

संविधान के अनु० 19 के तहत सहकारी समितियों का गठन मूलाधिकार है।

भारत में यह बैंकिंग, चीनी एवं कपड़ा उद्योग आदि कार्यों में लगी हुई है।

खराब प्रदर्शन के कारण:

① सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप तथा कठोर विनियमन।

② वित्तीय तंत्र एवं संसाधन तथा विशेषज्ञों की अनुपलब्धता।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(3) सहकारी समितियों का राजनीतिकरण तथा इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार।

(4) मुख्यतः प्राथमिक उद्यमों (यथा - चीनी, कपड़ा आदि) में ही केन्द्रित जिससे स्केलिंग एवं आय सृजन क्षमता न्यूनतम है।

(5) ऋण माफी आदि योजनाओं के कारण अत्यधिक वित्तीय अनियमितता

कमियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा किये गये सुधार।

(1) शहरी सहकारी बैंकों को अब RBI निर्देश दे सकता है, तथा उनके निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन कर सकता है।

(2) सरकार द्वारा इनके वित्तीयन एवं पुनर्वित्तीयन हेतु उपाय किये गये हैं। (उदा- कृषि अवसंरचना विकास निधि, सूक्ष्म सिंचाई निधि आदि

के तहत ये समितियाँ पात्र।
(3) बोर्ड का पुर्नगठन - तथा महिला एवं दलित सदस्यों के माध्यम से समावेशिता सुनिश्चित।
(4) सहकारिता मंत्रालय का गठन।
सरकार को एक व्यापक सहकारिता नीति के साथ इस क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न मुद्दों को संबोधित करते हुए सहकारिता आंदोलन - 2.0 का रास्ता बनाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का यदि उचित तरीके से दोहन किया जाए, तो इसमें भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विद्यमान अंतराल को पाटने की क्षमता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Public-Private Partnership model, if harnessed properly, has the potential to bridge the gaps in India's healthcare system. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वर्तमान में स्वास्थ्य पर व्यय GDP का 2.5% ही है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 6% होना चाहिए। इस संदर्भ में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लाभ :

① विद्यमान अंतराल को पाटना

↳ क्षेत्रीय असमानता - बिहार में 6000 व्यक्तियों पर 1 बेड, जबकि गोवा में 400 व्यक्तियों पर।

② WHO के 1000/1 (जनसंख्या) डॉक्टर के बजाय 1500/1 पर 1 डॉक्टर उपलब्ध।

③ प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं मेडिकल कॉलेजों आदि में निवेश का अभाव।

② बेहतर साझेदारी : उदा- सरकारी अस्पतालों में कुछ निजी वार्ड डॉक्टरों की कमी को पूरा कर सकते हैं।

③ निजी क्षेत्र की तकनीकी नवाचार (उदा०- 1mg.com, टेलीमेडीबडी आदि) दवाओं एवं डायग्नोस्टिक में टेलीमेडीसीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।

④ वर्तमान में प्रतिवर्ष 7 करोड़ लोग आउट ऑफ पॉकेट व्यय के कारण गरीबी रेखा में समाहित होते हैं। PPP इस संदर्भ में लागत अनुरूप सेवायें दे सकता है।

⑤ माइक्रो बीमा, वंचित वर्गों का लक्ष्यीकरण, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आदि में निजी क्षेत्र अत्यंत सहायक हो सकता है।

मुद्दे — ① निजी क्षेत्र का लाभ के लिए कार्य करना।

② राजनीतिक विरोध - सरकारी आवश्यकता को निजी क्षेत्र को दिये जाने के विरुद्ध।

③ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की वास्तविक कमी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

④ कोविड-19 जैसी महामारियों में सार्वजनिक देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता स्पष्ट - चूँकि निजी क्षेत्र अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

आगे की राह: ब्रिज कोर्स के माध्यम से आयुष आदि को एलोपैथी प्रशिक्षण
② आशा, ANM कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग
③ प्रिवेंटिव अप्रोच - योग, मेडिटेशन एवं जीवन शैली सुधार।
④ टेलीमेडिसीन का प्रसार तथा जन औषधि केन्द्रों का निर्माण
⑤ आयुष्मान भारत का उचित क्रियान्वयन तथा निजी क्षेत्र के साथ पायलट स्तर पर कार्य करते हुए प्रभावों के आंकलन पश्चात ही स्वास्थ्य सेवा में भागीदारी बढ़नी चाहिए।

18. यद्यपि नई शिक्षा नीति अपने साथ एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लेकर आई है, इसकी सफलता सरकार की अन्य नीतिगत पहलों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत होने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Although the New Education Policy brings with itself a commendable vision, its success will depend on its ability to effectively integrate with the government's other policy initiatives. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिशों के अनुरूप नई-शिक्षा नीति-2020 प्रशंसनीय दृष्टिकोण लायी है।

1. प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा के बजाय 5-3-3-5 वर्षों की शिक्षा का विभाजन।
2. ई शिक्षा पर जोर तथा PM ई विद्या, स्वयंप्रभा आदि की स्थापना।
3. शिक्षा के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का समावेश (कौशल सीखना)
4. ब्रिज कोर्सेज को मान्यता तथा लर्निंग आउटकम पर जोर।
5. ~~उच्च शिक्षा~~ माध्यमिक शिक्षा को तनाव मुक्त बनाने हेतु विषय-चुनाव की स्वतंत्रता तथा पास होने के अधिक अवसर।

क्योंकि इसकी सफलता अन्य नीतिगत पहलों के साथ एकीकरण पर निर्भर करेगी।

1. **डिजिटलीकरण पर जोर** — डिजिटल इंडिया मिशन — भारतनेट इंटरनेट एवं स्मार्टफोन तथा टैबलेट वितरण आदि पर

2. **टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल** : PM-ई विद्या द्वारा प्रशिक्षण। → DTH चैनलों के उचित कार्यान्वयनों के साथ संबद्ध है

3. **प्रारंभिक शिक्षा** → मिड-डे मिल एवं ICDS तथा आंगनवाड़ी आदि योजनाओं से जुड़ी है।

4. **उच्च शिक्षा का उदारीकरण** — यह उद्योग-शिक्षा लिंकेज, IOE कार्यक्रम, एवं स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की सफलता पर निर्भर करेगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(5) बच्चे सीखने का दृष्टिकोण - यह अटल इनोवेशन मिशन, उच्चतर आविष्कार योजना तथा स्किल इंडिया पहल के सफलता पर निर्भर करेगा।

इस प्रकार यह ध्यान रखना होगा कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, औद्योगीकरण, रोजगार प्रदान क्षमता आदि से भी गहराई से जुड़ी है अतः शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के साथ इन सभी क्षेत्रों में सुधार आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

19. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न हुआ है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में भारत की चिंताओं की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) is born from a collective desire to make the Indo-Pacific region an engine of global economic growth. Comment. Also, discuss India's concerns in this context. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में अमेरिका एवं विभिन्न इंडो-पैसिफिक देशों के मध्य IPEF साझेदारी का प्रारंभ किया गया।

निर्माण के उद्देश्य :

1. हिंद प्रशांत को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाना।
2. क्षेत्रीय मुक्त व्यापार एवं तकनीकी तथा व्यक्तियों का आवागमन सुनिश्चित करना।
3. उचित बौद्धिक संपदा अधिकार तथा विवाद के माध्यम से व्यापार सुगमता हासिल करना।

हालांकि इसके अन्य निहित उद्देश्य भी है।

1. लघु द्वीपीय देशों को चीन का विकल्प बनाना। (हालिया

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण।

② अमेरिका के नेतृत्व में लोकतांत्रिक देशों को चीनी आक्रामकता के विरुद्ध एकजुट करना।

भारत की चिंताएँ :

① इस क्षेत्र में भारतीय व्यापार एवं निवेश को बाधित करेगा।

② जटिल IPR एवं श्रम संबंधी नीतियों के कारण विकासशील देशों को लाभ नहीं।

③ ऐसे क्षेत्रीय समझौते WTO जैसे निकायों की उपयोगिता पर सवाल उठाते है।

④ हिन्द महासागर मे केन्द्रीय अवस्थिति के बावजूद भारत इसमें भागीदारी से बच रहा है। — हाल ही में भारत द्वारा RCEP से भी कृषि, एवं उद्योगों पर दुष्प्रभाव का हवाला देते हुए पीछे हट गया था।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(5) इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों (अमेरिका) का प्रभाव बढ़ेगा।

ऐसे में भारत को मेक इन इंडिया, श्रम सुधार एवं नवीन औद्योगिक तथा निवेश नीति के माध्यम से तथा विकासशील देशों के किसी भी व्यापार समझौते में खाद्य सुरक्षा, सब्सिडी आदि मुद्दों पर नेतृत्व करने की आवश्यकता है।

20. विस्तृत होते डिजिटल स्पेस और नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं के बीच भारत को अपनी तकनीकी-कूटनीति (टेक्नो-डिप्लोमेसी) को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
India needs to identify the priority areas to further its techno-diplomacy amidst the complexities of expanding digital space and New and Emerging Strategic Technologies. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत न्यू एंड एमार्जिंग स्ट्रेटजिक टेक्नालाजी (NEST) विभाग का गठन किया गया है।

तकनीकी कूटनीति हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र की पहचान आवश्यक क्यों?

① डिजिटल स्पेस का विस्तृत होना :
अत: WTO जैसे मंचों पर डाटा सुरक्षा, डाटा लोकलाइजेशन जैसे मुद्दे हावी। (उदा - भारत द्वारा स्वयं को ओसाका घोषणा से बाहर रखा गया)

② बढ़ते साइबर खतरे — जागरूकता का अभाव
└ ② आतंकवाद एवं रेडिकलाईजेशन
└ ③ साइबर हमले (रैनसम वायरस)
आदि की अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति के कारण सहयोग अनिवार्य।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

③ नयी एवं उभरती तकनीकी

① क्रिप्टोकरेंसी - आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा।

② स्पेस तकनीक - जासूसी एवं अंतरिक्ष हथियारों का प्रयोग
→ चीन द्वारा क्वांटम उपग्रह का प्रयोग।

③ माइक्रोवेव एवं रेडियेशन हथियार।

④ ऊर्जा सुरक्षा तकनीक - सोलर सेल, एवं नवीकरणीय ऊर्जा आदि के क्षेत्र में

⑤ बायोटेक एवं नैनोटेक तथा क्वांटम एवं DNA कंप्यूटिंग आदि में भारत को अग्रणी बनाने हेतु।

आगे की राह :

① तकनीकी अग्रणी देशों से सहयोग के आयाम - जापान - अमेरिका, इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा एवं ऊर्जा संग्रहण तकनीक पर वार्ता।

② दुर्लभ मृदा धातुओं हेतु सहयोग (अर्जेंटीना, बोलीविया आदि)

② रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण एवं नवीन तकनीक हेतु देश में अनुसंधान पर निवेश - वर्तमान में यह अत्यंत न्यून (GDP का 0.6% ही है।)

③ किसी भी विदेशी खरीद में तकनीक हस्तांतरण का आवश्यक प्रावधान (उदाह - ड्रोन, मिसाइलें आदि)

इस संदर्भ में भारत द्वारा अमेरिका एवं रूस दोनों के साथ रणनीतिक भागीदारी की जा रही है। तथा D-10, सप्लाई चेन रिज़िलिएंट इनीशिएटिव आदि में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK